

वां. री० 2813

दिनांक 18/8/04

हसनपुर

घा. 34 एल० आर० एवम्

निर्णय

श्री. वाशी द्वारा के प्रथमा पत्र पर यह वाद दायर हुआ है।
पत्रावली के अन्तर्गत से स्पष्ट है कि यह निर्दिष्ट है कि इस प्रकार जारी होने पर
कोई आपत्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध सरिस्ता, रिपोर्ट आख्या
लखपाल भकल खलीनी विभाग पत्र एवं क्रंता द्वारा प्रस्तुत शाय पत्र से प्रकट है कि
दाखिल स्वारिज का आदेश दिया जाना उचित है।

अपने आदेश दिया है कि रजिस्टर्ड विभाग पत्र

दिनांक 11/8/04

मूल्य 30,000/-

प्रा. हसनपुर

की खाता खलीनी संख्या 78

के खसरा न० 211 गि. 0.012

वाषिक लगान 0.30

विक्रेता श्री नौरंग पुत्र लाल सिंह नि. गा.

स्वारिज होकर क्रंता श्री नारसी सिंह पुत्र श्री नौरंग सिंह नि. गा. हसनपुर
तह. विकासवाग मिला इंदौर

अंकित हो लायान देय है। वाद वसूली तावात किये
जाने अमल बरामद गिराल वा० दा० होये।

ह० तहसील
विकासवाग

354
विक्रय पत्र



मालियत विक्रय पत्र ... 30,000/- रुपये

बाजारी मूल्य जिस पर स्टाम्प दिया है 30,000/- रुपये

स्टाम्प सीट की संख्या 04

स्टाम्प शुल्क 3,000/- रु. आवास विकास शुल्क 3,000/- रु.
श्री नौरंग पुत्र लालसिंह, निवासी ग्राम- हनुपुर,
तहसील-विकासनगर, परगना-पछादुन, जिला-देहरादून,
उत्तरांचल । ... दिवसे

के स्वामी व अध्यासी हैं और हमारी यह सम्पत्ति हर प्रकार के भार व बंधन से मुक्त है उसको
श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री नौरंग सिंह, निवासी ग्राम- हनुपुर,
तहसील-विकासनगर, परगना-पछादुन, जिला-देहरादून,
उत्तरांचल । ... दिवसे

को विक्रय कर दिया है जिसकी एवज में विक्रय धन 30,000/- रुपये त्रतीस हजार रुपये
नकद प्राप्त को निम्न प्रकार प्राप्त किया

विवरण / सम्पत्ति अन्त में वर्णित है स्थित

नौरंग सिंह

अनुराग

INDIA NON JUDICIAL

₹ 1000

R\$ 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

उपकोषाधिकारी

2 AUG 2004

विकास नगर

2981

विक्रय-पत्र

मे नौरंग पुत्र लाल सिंह, निवासी ग्राम- हसनपुर, तहसील- विकासनगर,
परगना-पछादून, जिला-देहरादून, उत्तरांचल का है। विक्रेता

स्वम्

श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री नौरंग सिंह, निवासी ग्राम- हसनपुर, तहसील-
विकासनगर, परगना-पछादून, जिला-देहरादून, उत्तरांचल ... क्रेता

विदित हो कि विक्रेता इस विक्रय पत्र के अन्त में वर्णित भूमि का
मालिक, काबिज, स्वामी, अधिकारी है और वर्णित भूमि हर प्रकार से भार,
बंधन, कृपा, जमानत, रहन, बंध व वाद-विवाद से पाक साफ है और मुझे भूमि
को विक्रय करने के समस्त कानूनी व मालिकाना अधिकार प्राप्त हैं।

और जो कि विक्रेता ने अपनी छुपाई व रजामन्दों से बिना किसी के
सिखलाये-बछाये वरन् अपनी इन्द्रियों की स्वस्थ व स्वस्थ दृष्टि में वर्णित
भूमि में एक निकासी, छा, पानी, रोशनी व मौके पर कायम प्राचीन रास्तों
आदि की सुविधाओं सहित इसकी उचित तयशुदा कीमत मु० = 30,000/- रु०
एक हजार रुपये के क्रेता महोदय उपरोक्त को विक्रय कर दी है और कुल
विक्रय मूल्य विक्रय पत्र पंजीकरण कराने से पूर्व ही नकद प्राप्त कर लिया है,
मध्य कीमत कुछ लेना-देना शेष नहीं रहा है।

नौरंगसिंह

... 2 पर



-2-

2982

और जो कि विक्रेता ने विक्रीत भूमि से अपना कब्जा हटाकर व उठाकर अपने समान क्रेता महोदय का करा दिया है। क्रेता महोदय विक्रीत भूमि पर कां बज रहकर अपनी इच्छानुसार उसका उपयोग व उपभोग करे, विक्रय करे, दान करे, वसीयत आदि द्वारा हस्तान्तरित करे आदि।

और जो कि विक्रीत भूमि को बाँट कर उसे दो हिस्से में बाँट कर, लान व टैक्स आदि दे पाये गये तो उनको विक्रेता महोदय अदा रहेगा व आज के बाद के समस्त कर, लान व टैक्स आदि क्रेता महोदय अदा रहेगा।

और जो कि क्रेता महोदय ने विक्रेता महोदय के नाम आरज कराकर अपना नाम बतौर स्वामी दर्ज करा ऐसे यदि इसी लिये विक्रेता महोदय के हस्ताक्षर, ब्यान, शपथपत्र आदि की आवश्यकता हो तो ऐसी समस्त बाधाओं विक्रेता, क्रेता महोदय के लिये पर करने के लिये सदैव तत्पर व पाबन्द होगा।

और जो कि विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग स्वामित्व अधिकार की कमी के कारण या विक्रय दोष की कमी के कारण क्रेता महोदय या उनके वारिसान आदिसे निवृत्त आवे तो क्रेता महोदय अपना कुल विक्रय मूल्य मध्य दर्जा जर्वा व लागत वगैरह सब सूद वानुनी विक्रेता व उनकी दीगर जायदाद से जिसे प्रकार चाहे वसूल करे इस विक्रयपत्र के पाबन्द विक्रेता महोदय व उनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न व हित-प्रतिनिधि होंगे।

नौरंगासिंह

वकील



वार्तिक विवरणः

- 1- यह कि विक्रीत भूमि का स्थापित/वाकफ़ा से बाहर है और शामिल रोड से 600 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा ओद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थित है।
- 2- यह कि विक्रेता स्वयं क्रेता दोनों अनु स्वीकृत जाति व अश्वत्थि से सदस्य नहीं है और दोनों भारतीय नागरिक हैं।
- 3- यह कि विक्रीत भूमि पर कोई पेड़, बाग़ या निमाण्ड नहीं है और भूमि का पूर्व में कोई स्थापना नहीं हुआ है।
- 4- यह कि विक्रीत भूमि का क्षेत्रफल 2500/- से 5000/- वर्ग फीट का होना चाहिए।
- 5- यह कि क्रेता के पिता के नाम पर मौजा-हसनपुर, तहसील-देहरादून में कृषि भूमि है और क्रेता उत्तरांचल राज्य के कृषक परिवार का सदस्य है।
- 6- यह कि विक्रीत भूमि मध्य सर्वेकार साइट विक्रय की गयी है।

विवरण विक्रीत भूमि

भूमि खाता क्रमांक 10- 72 पर फसली वर्ष 1410 से 1415, भूमि क्षेत्र 10- 211 सबा- 0.0310 है से 0.012 है मौजा- हसनपुर, तहसील- देहरादून, जिला-देहरादून जिसकी सोमाये निम्नवत है :-

नौरंगासिंह

महेश

₹ 500

RS 500

पाँच सौ रुपये

FIVE HUNDRED RUPEES

5 AUG 2004

विकास नगर

सुमारे:

- पूरब मे : भूमि सजीव की ।
- पश्चिम मे : गाँव का 20 फुट चौड़ा कच्चा रास्ता ।
- उत्तर मे : विक्रेता की भूमि ।
- दक्षिण मे : पप्पू की भूमि ।

अतएव यह विक्रमपत्र आज दिनांक 11/08/2004 को विकासनगर, जिला- देहरादून में लिखित रूप से सनद रहे व समय पर काम आये, इसीलिखित।

हस्ताक्षर 1.....

शजेश चौरसियाल

हस्ताक्षर 2.....

अकेश 5/0 खारा-कंद
नि० चौकल वाला लक्ष्मील
विकासनगर-देहरादून

रीषयता : श्री राजेश चौकल, सहायक विकासनगर देहरादून।

टाईफता : पवन सिंह नेगी विकासनगर ।

